न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 71/2019

1 मुला आयु 82 वर्ष पुत्र कालू जाति माली निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 जगदीश आयु 62 वर्ष पुत्र टिलू।
2 महीपाल आयु 60 वर्ष पुत्र टिलूराम उर्फ टिलू समस्त जाति मेघवाल निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुंझुनू।
3 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2019 बमुकदमा उनवानी मुला बनाम जगदीश वगैरह दावा बाबत इस्तकरारहक व दुरूस्ती रिकार्ड मुकदमा नम्बर 45/2017 बअदालत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू

उपस्थिति :

1. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विकास सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 10.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा संख्या 45/2017 मे पारित निर्णय दिनांक 02.07.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील झुंझुनू में जमीन खसरा नम्बर 641 तादादी 1.01 हैक्टेयर वाके ग्राम इस्लामपुर से बनी है। इस प्रकार तहसील झुंझुनू में जमीन खसरा नम्बर 638 तादादी 0.46 हैक्टेयर, जमीन खसरा नम्बर 639 तादादी 0.50 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1846/639 तादादी 0.05 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.01 हैक्टेयर वाके ग्राम इस्लामपुर है जो जमीन पुराना खसरा नम्बर 424 तादादी 4 बीघा से बनी है। वादी की ओर से दावा में उल्लेख किया गया कि वादी की खातेदारी की जमीन का पुराना खसरा नम्बर 424/2 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम इस्लामपुर वादी के नाम दर्ज रही तथा इसी प्रकार पुराना खसरा नम्बर 424/1 रकबा 4 बीघा के खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के पिता टिलू पुत्र झाबर चमार निवासी इस्लामपुर रहा। वादी ने यह भी स्पष्ट किया कि वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 424/2 का बाद में खसरा नम्बर 424/636 रकबा 4 बीघा पड़े। उक्त समस्त कथनों की ताईद नये सेटलमेन्ट से पूर्व बनी इस जमीन की जमाबन्दी संवत 2048 से 2051 से होती है। वादी की ओर से दावा में किये अभिवचनों के अनुसार जमाबंदी संवत 2048 से 2051 के बाद तहसील झुंझुनू में नये सेटलमेन्ट का कार्य शुरू हुआ तथा सेटलमेंट के दौरान वादी की खातेदारी की उक्त भूमि को प्रतिवादीगण नम्बर 1,2 की खातेदारी में गलत दर्ज कर दिया तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1,2 की खातेदारी की भूमि की वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज कर दिया। यह भी स्पष्ट किया गया कि कानून से सेटलमेन्ट विभाग को किसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

खातेदारी की भूमि के राजस्व रिकार्ड को बदलने का कोई अधिकार नहीं है तथा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा प्रतिवादीगण नम्बर 1,2 की खातेदारी की भूमि नया खसरा नम्बर 641 रकबा 1.01 हैक्टेयर प्रतिवादीगण नम्बर 1,2 की खातेदारी में दर्ज करने के बजाय वादी की खातेदारी में गलत दर्ज कर दी तथा इसी प्रकार वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 638 तादादी 0.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1846/639 तादादी 0.05 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 639 तादादी 0.50 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.01 हैक्टेयर वाके ग्राम इस्लामपुर को राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण नम्बर 1,2 के नाम से भी गलत दर्ज कर राजस्व रिकार्ड गलत तैयार किया। जबकि वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1,2 का अपनी अपनी खातोदारियों की भूमियों पर सेटलमेन्ट से पहले से लगातार कब्जा व उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा है। अदालत मातहत के समक्ष उक्त गलत राजस्व रिकार्ड को पुराने राजस्व रिकार्ड के अनुसार दुरूस्त कर अमल दरामद किये जाने की इस्तदुआ की गई। समस्त सम्बंधित राजस्व रिकार्ड अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 10 तक प्रदर्शित करवाया गया है। जिसके अवलोकन से भी उक्त अनुसार सेटलमेन्ट विभाग द्वारा गलत रूप से राजस्व रिकार्ड बनाये जाना प्रमाणित होता है परन्तु अदालत मातहत ने बिना राजस्व रिकार्ड को अवलोकन किये तथा बिना दावा के तथ्यों को समझने का प्रयास किये उक्त अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की प्रकिया को धारा 42 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों का उल्लघन होना मानते हुये वादी का दावा विधि विरूद्व खारिज किये जाने का निर्णय कर डिकी पारित की है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि दावा कथित सारवान तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट/वादी मूला स्वर्ण जाति में माली है तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 अनुसूचित जाति में चमार है। यह भी सही है कि धारा 42 राजस्थान टीनेन्सी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

एक्ट के प्रावधानों के अनुसार किसी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति की खातेदारी की भूमि को किसी स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम से किसी भी प्रकार से स्थानान्तरित किया जाना निषेध है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में ऐसी स्थिति विवादित भूमि के पुराने व नये राजस्व रिकार्ड से प्रकट नहीं होती। वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1,2 व प्रतिवादीगण नम्बर 1,2 के पिता टीलू राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधान लागु होने से पहले से ही अपनी–अपनी खातेदारियों की भूमियों के अलग–अलग खातेदार रहे है व काबिज रहे है तथा सेटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान वादी की खातेदारी की भूमि का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादीगण 1,2 के नाम से तथा प्रतिवादीगण 1,2 की खातेदारी की भूमि का राजस्व रिकार्ड वादी के नाम से दर्ज किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमियों का राजस्व रिकार्ड गलत तैयार कर दिया गया जबकि मौके पर वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1,2 का पूर्ववतः अपनी अपनी भूमियों पर लगातार कब्जा व काश्त चली आ रही है। इस प्रकार के गलत राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने मात्र से धारा 42 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लघन नहीं होता है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार कर वाद वादी डिक्री किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर वाद वादी डिक्री किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय विचाराधीन निर्णय में विवेचित किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगणों को पुराना खसरा नम्बर 424 वाके ग्राम इस्लामपुर में भूमि आंवटन हुई थी लेकिन तात्कालीन समय का जो नक्शा प्रस्तुत किया गया है उसमें कोई तरमीम नही है कि वादी एवं प्रतिवादीगणों को उक्त खसरा नम्बर में कहां पर भूमि आंवटित की गई थी तथा आंवटन के उपरान्त किस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण एक दुसरे के खसरा नम्बरान पर काबिज है यह रिकार्ड के आधार पर प्रमाणित नही होता है व वादी जाति से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

माली है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 जाति से मेघवाल है। प्रतिवादीगण की जाति अनुसूचित जाति में आती है जबकि वादी की जाति अनुसूचित जाति से भिन्न जाति में आती है। प्रस्तुत वाद में घोषणा व दुरूस्ती की आड़ में अनुसूचित जाति की भूमि को वादी द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न के नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के अनुसार अनुसूचित जाति की कृषि भूमि किसी भी प्रकार की वसीयत भेंट विकय अन्तरण या स्थानान्तरण के माध्यम से अनुसूचित जाति से भिन्न जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज नही की जा सकती। अर्थात इस प्रकार के किसी भी स्थानान्तरण पर पूर्णतया कानूनी रूप से प्रतिबन्ध है। विचारण न्यायालय द्वारा इस विवेचन के आधार पर वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर